

16.08.2013

—: आदेश :-

शस्त्र अपील वाद संख्या-67/2006, आयुक्त न्यायालय, पटना में श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह, पिता-श्री लाल बाबू सिंह यादव, सा०-शेरपुर, पो०-शेरपुर मनेर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन। अनुज्ञप्ति वाद संख्या-01/2006 कायम करते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा आदेश के विरुद्ध दिनांक-31.12.2011 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा आदेश पुनर्विचार करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-16.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे खेती करते हैं। तदोपरान्त उन अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-229/गो०, दिनांक-31.01.2006 आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अनुशासित/अग्रसारित कर मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। थाने मनेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे खेती करते हैं। तदोपरान्त आवेदक द्वारा जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। थानाध्यक्ष जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आदेश को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशांसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही A.S.P., Danapur द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशासित किया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आदेश की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजे। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अधीन उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समय तो वही विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश किये सकेगा।"


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनका द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र


अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवे की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम् विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्र नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आटे श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह, पिता-श्री लाल बाबू सिंह यादव, सा0-शेरपुर, पो0-शेरपुर, था मनेर, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्व किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।